



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273892
CG-DL-E-27062026-273892

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3336]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2026/ आषाढ 6, 1948

No. 3336]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2026/ ASHADHA 6, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 जून, 2026

का.आ. 3471(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2747(अ), दिनांक 29 मई, 2026 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(i) तालिका के कॉलम (4) में, क्रम संख्या 28क और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, मदे और प्रविष्टियां "1 अप्रैल, 2027" के स्थान पर "नए मॉडलों के लिए: 01 अप्रैल, 2027 और मौजूदा मॉडलों के लिए: 01 अक्टूबर, 2027" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) तालिका के कॉलम (4) में, क्रम संख्या 31 में मद संख्या (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, मर्दे और प्रविष्टियां "1 अप्रैल, 2027" के स्थान पर "नए मॉडलों के लिए: 01 अप्रैल, 2027 और मौजूदा मॉडलों के लिए: 01 अक्टूबर, 2027" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. आरटी- 11036/192/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड- , उप-खंड (ii) में का.आ. 1365(अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2004 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और पिछली बार का.आ. 2747(अ), दिनांक 29 मई, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd June, 2026

S.O. 3471(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, number S.O. 2747(E) dated 29th May, 2026, namely:-

2. In the said notification, following items and entries shall be substituted:

(i) In the Table against serial number 28A and entries relating thereto, in column (4), the items and entries "1st April, 2027" shall be substituted with "For new models: 01st April, 2027 & For existing models: 01st October, 2027".

(ii) In the Table against serial number 31, in item number (d) and entries relating thereto, in column (4), the items and entries "1st April, 2027" shall be substituted with "For new models: 01st April, 2027 & For existing models: 01st October, 2027".

[F. No. RT-11036/192/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004 and was last amended *vide* S.O. 2747(E) dated 29th May, 2026.